FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

प्रभुलाल बनाम चन्द्रीलाल

किस्म मुकदमा धारा 53 R.T.A. प्रकरण संख्या 28/22

GCMS नम्बरः– 2022/238

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब (1) आगामी दिनांक 07/4/25 को पेश हो	
7/4/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब (1) आगामी दिनांक ~~07~~ 21/4/25 को पेश हो	
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/5/25 वास्ते जवाब (1) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20-5-2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22-5-25 वास्ते जवाब (1) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
22/5/25	पत्रावली पेश हुई विपक्षी अभियुक्त (1) ने No Ins किया। पत्रावली वास्ते सा. वादी आगामी दिनांक 12/06/25 को पेश हो	M. [illegible]
12/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/7/25 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
10/7/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 18/8/25 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म व जारी
18/8/25	पत्रावली पेश हुई वादी द्वारा बयान (सा[illegible]) करवाने से मना किया। पत्रावली में बयान बंद किया गया। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। पत्रावली वास्ते ई. PJ आगामी दिनांक 3/9/25 को पेश हो।	
3-9-2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 23/9/25 को वास्ते ई. PJ पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 6/10/25 को वास्ते ई. PJ (TDR) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
6/10/25	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश/बहस आगामी दिनांक 13/10/25 को पेश हो।	
[illegible] प्रस्ताव [illegible] है [illegible] जारी [illegible] 13/10/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में आदेश पारित किए गए पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में डिक्री जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (**RAS**) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 28/2022 दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

01. चकोला देवी पत्नि ग्यारसीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी राजपूत कोलानी वार्ड नं0 43 सुभाषनगर भीलवाड़ा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. देबीलाल पिता बालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 10/ 2025

डिक्री दिनांक : 13 / 10 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 । श्री पंकज धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :–

निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम **ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर** के राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	प्रभुलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तह. बिजौलियां खातेदार	जलेरी विरान	68/1 69/1	0.8347 0.2493
	योग		**खसरा 02**	**1.0840**
02	**(A)** चकोला देवी पत्नि ग्यारसीलाल मीणा निवासी राजपूत कॉलोनी वार्ड नं0 43 सुभाषनगर भीलवाड़ा हिस्सा 11615/12389 **(B)** देबीलाल पिता वालू भील निवासी जलेरी तहसील हिस्सा 774/12389 खातेदार	जलेरी विरान	70 71 69/2 68/2	0.2509 0.7608 0.1230 0.1042
	योग		**खसरा 04**	**1.2389**

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 28 / 2022 दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादी

बनाम

01. चकोला देवी पत्नि ग्यारसीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी राजपूत कोलानी वार्ड नं 43 सुभाषनगर भीलवाडा तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. देबीलाल पिता बालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी
02. श्री पंकज धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13 / 10 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक **18.08.2025 को प्राथमिक डिक्री** इ आशय की जारी हुयी कि मौजा **ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर** तहसील बिजौलिय स्थित आराजी नम्बर 68 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 69 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, आराज नम्बर 70 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 71 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भूमि कुल किता 0 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि में वादी का 7 / 15 हिस्सा व शेष 8 / 15 हिस्सा प्रतिवादीगण क मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री व पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां अपने पत्रांक / राजस्व / 2025 / 1445 दिनांक 23.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौ रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी क स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आध पर** वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटियां** ने अपनी रिपोर्ट अंकित किया हैं।

लगातार पेज संख्या 02 प

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व लेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
प्रभुलाल पिता भंवरलाल मीणा निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तह. बिजौलियां खातेदार	जलेरी विरान	68/1 69/1	0.8347 0.2493
योग		**खसरा 02**	**1.0840**
(A) चकोला देवी पत्नि ग्यारसीलाल मीणा निवासी राजपूत कॉलोनी वार्ड नं0 43 सुभाषनगर भीलवाड़ा हिस्सा 11615/12389 **(B)** देबीलाल पिता बालू भील निवासी जलेरी तहसील हिस्सा 774/12389 खातेदार	जलेरी विरान	70 71 69/2 68/2	0.2509 0.7608 0.1230 0.1042
योग		**खसरा 04**	**1.2389**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल टाम्प प्रस्तुत करें तव डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा